



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 298 राँची, बुधवार, 1 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
22 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

12 फरवरी, 2024

संख्या-7/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 987--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री लाल हेमन्त नाथ शाहदेव (वरी.क्र०-706), अवर सचिव (पी०बी०- III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी०बी०-III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया है ।

संख्या-7/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 988--झारखण्ड सचिवालय सेवा के **श्री संजय कुमार रजक** (वरी.क्र०-848), अवर सचिव (पी०बी०- III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी०बी०-III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया है ।

संख्या-7/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 989--झारखण्ड सचिवालय सेवा के **सुश्री जयश्री टोप्पो** (वरी.क्र०-942), अवर सचिव (पी०बी०- III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी०बी०-III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नत पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
